न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-465RAAJodhpur2023-219RTA225 Baburam ors Vs Shrawan Kumar etc

01. बाबूराम पुत्र भारमलराम
02. विकास पुत्र बाबूराम
दोनो जातियान् विश्नोइ, निवासीगण- ग्राम पीलवा,
तहसील देचू, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. श्रवणकुमार पुत्र बाबूराम
02. महिपाल पुत्र बाबूराम
03. सुशीला पुत्री बाबूराम
जातियान् विश्नोई, निवासीगण- ग्राम भोजाकोर
तहसील देचू, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2022 श्रवणकुमार व अन्य बनाम बाबूराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

नि र्ण य

दिनांक : 20 नवंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2022 अनवान श्रवणकुमार व अन्य बनाम बाबूराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी

अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 27 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 230 रकबा 15.6856 हैक्टेयर, खसरा नं. 290/256 रकबा 31.2012 हैक्टेयर, खसरा नं. 291/256 रकबा 0.1295 हैक्टेयर मूल ग्राम जालोड़ा (वर्तमान राजस्व ग्राम झरड़ोजी की भाखरी व जांगुबाना) के संबंध धारा 88, 89, 188 व 92-ए आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2023 अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण का वाद चलने काबिल नहीं है, क्योंकि वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि न होकर अपीलार्थी संख्या एक बाबूराम की स्वअर्जित व खरीदसुदा खातेदारी की भूमि है। वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त आराजी वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने मनमाफिक तरीके से बिना कोई दस्तावेज देखे भूमि को पैतृक मानते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जो कानूनन नहीं की जा सकती है। वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी संख्या एक की स्वअर्जित भूमि है, जिस पर वादीगण को वाद लाने का उसके जीवन काल में काई अधिकार नहीं है। वर्तमान में यह वाद स्वअर्जित व खरीदसुदा भूमि पर एक पुत्र द्वारा अपने पिता के विरुद्ध पेश किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी

है, जो कानूनन पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बिना दस्तावेज देखे मनमाफिक रेकर्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है जो कानूनन नहीं की जा सकती। अपीलार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि विचारण न्यायालय के समक्ष पेश की थी तथा धारा 212 के प्रार्थना पत्र का जवाब भी पेश किया था, लेकिन विचारण न्यायालय में प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि को विचारण न्यायालय की पत्रावली से निकाल लिया। माननीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 79/2023 में पारित आदेश दिनांक 15.06.2023 के जरिये अपीलांट की स्वअर्जित भूमि को अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त किया था तथा विचारण न्यायालय को निर्देशो के साथ मामला प्रतिप्रेषित किया था। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त निर्देशों की पालना किये बिना तथा अपीलांट्स को सुने बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसलिए प्रथदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के अधिवक्ता को अवगत कराया गया कि तत्समय पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं होने का बताया गया तथा चुनाव बाद तारीख पेशी नोट किये जाने का कहा गया, तब अपीलांट के अधिवक्ता आश्वस्त हो गये। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 15.12.2023 को विचारण न्यायालय के निर्णय रजिस्टर को देखा तो ज्ञात हुआ कि धारा 212 का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.10.2023 को

राजस्व अपील प्राधिकारी

बेकडेट में स्वीकार कर लिया गया। तब अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 15.12.2023 को अपीलाधीन आदेश की नकल लेने पर अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की प्रथम बार जानकारी हुई।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को खारिज फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के जिस भाग को स्वअर्जित बताया जा रहा है। उक्त भाग भी पुश्तैनी खातेदारी का ही है। उक्त भाग को परिवार के सदस्यों द्वारा पारिवारिक सेटलमेंट के लिये जरिये बंटाननामा हंस्तारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सुस्पष्ट विधिक प्रावधानों के तहत विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील विलंब से पेश की गई है तथा विलंब का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से तथा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में

राजस्व अपील प्राधिकारी

वर्णित तथ्यों पर विश्वास जाहिर करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख पजीवद्ध विक्रय विलेख दिनांक 12.03.2013 के अवलोकन मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 256 रकबा 193 बीघा 11 बिस्वा में सें 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपीलांट संख्या एक की खरीदसुदा भूमि है। अदालत द्वारा अपीलांट की उक्त स्वअर्जित भूमि को पूर्व आदेश के जरिये भी अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त किया गया तथा विचारण न्यायालय को उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर निर्णय पारित किये जाने हेतु निर्देशि किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना तथा अदालत हाजा के निर्देशों का दरकिनार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 23/2022 अनवान श्रवणकुमार व अन्य बनाम बाबूराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 290/256 में अपनी खरीदसुदा भूमि रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा के संबंध में अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर